

23

वकील उमय पल को
आदेश-6 निपन-17 आदेश पर
बदल सुनी गई। पत्रावली वाले
आदेश प्राथमिक पत्र हेतु दिनांक
29/8/2023 को पेश की

29/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पल को
प्राथमिक पत्र आदेश 6 निपन 17 स्वीकार
किया जाता है। आवेशानुसार अगला क
अज्ञाप पत्र का गत माल खाती क
इंतकित किया गया। पत्रावली वाले अद्य
हेतु दिनांक 9-10-23 को पेश की

9/10/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उमयपक्ष
उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे
/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म
साथ दिनांक 12/12/23 को पेश है

12/12/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उमय
पल को। पुनर्राम में वकील उमय पल की
बदल सुनी गई। बदल में पुनर्राम को
एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर
उमय पल को इस आशय की अस्वाइ
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि
उमय पल मूलवाद के निस्तार तक वर्तमान
में एक-दूसरे की कब्जे काश्त की माम
में इखलअंदाजी नहीं करे। पत्रावली
के साथ सुमार लेकर नम्बर से कम की

Handwritten signature and text on the right margin.

Handwritten signature and text on the right margin.



उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा